मा. कार्यपरिषद् की 49वीं बैठक (आकस्मिक) दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 (शनिवार) का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार की मा. कार्यपरिषद् की **49वीं** बैठक (आकस्मिक) **दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 (शनिवार)** को **अपराह्न 12:30 बजे** ऑफलाईन/ऑनलाईन के माध्यम से विश्वविद्यालय मुख्यालय में मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

उक्त बैठक में निम्नाकिंत सम्मानित सदस्य/महानुभावो ने प्रतिभाग किया:—

1. **प्रो. दिनेश चन्द्र शास्त्री** — **अध्यक्ष**
   कुलपति
2. **मा. न्यायमूर्ति (से.नि.) श्री आर.सी. खुल्बे** — **सदस्य (ऑनलाईन)**
   पूर्व मा. न्यायमूर्ति
   उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय।
3. **प्रो. राधेश्याम चतुर्वेदी** — **सदस्य (ऑनलाईन)**
   देव संस्कृति विश्वविद्यालय
   हरिद्वार।
4. **प्रो. कमला चौहान** — **सदस्य (अनुपस्थित)**
   विभागाध्यक्ष—संस्कृत विभाग
   हे0न0ब0 गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय
   श्रीनगर।
5. **प्रो. यशबीर सिंह** — **सदस्य**
   प्राध्यापक, संकायाध्यक्ष—धर्मशास्त्र विभाग
   श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
   नई दिल्ली।
6. **श्री पद्माकर मिश्रा** — **सदस्य (ऑनलाईन)**
   उप निदेशक
   उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा निदेशालय
   रानीपुर झाल, हरिद्वार।
7. **डॉ. प्रतिभा शुक्ला** — **सदस्य**
   संकायाध्यक्ष—साहित्य संस्कृति संकाय
   उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
8. **डॉ. शैलेश कुमार तिवारी** — **सदस्य (ऑनलाईन)**
   संकायाध्यक्ष—वेद—वेदांग संकाय
   उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
9. **प्रो. दिनेश चन्द्र चमोला** — **सदस्य (अनुपस्थित)**
   आचार्य—भाषा एवं आधुनिक
   ज्ञान—विज्ञान विभाग, उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
10. **डॉ. कामाख्या कुमार** — **सदस्य (ऑनलाईन)**
    उपाचार्य—योग विज्ञान विभाग
    उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
11. **डॉ. विनय कुमार सेठी** — **सदस्य**
    सहायक आचार्य—भाषा एवं आधुनिक
    ज्ञान—विज्ञान विभाग
    उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।

12. **डॉ. संजीव शास्त्री** — **सदस्य**
प्राचार्य,
श्री दैवी सम्पद् अध्यात्म संस्कृत महाविद्यालय
परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश

13. **डॉ. शिवानी विद्यालंकार** — **सदस्य**
प्राचार्य,
श्री निर्मल संस्कृत महाविद्यालय, कनखल
हरिद्वार।

14. **श्री लखेन्द्र गौथियाल** — **सदस्य (तकनीकी कारण से अनुपस्थित)**
वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय
हरिद्वार।

15. **श्री गिरीश कुमार अवस्थी** — **सचिव/मा. कार्यपरिषद्**
कुलसचिव

बैठक में निम्नवत् निर्णय लिये गये :—

मद संख्या – 01 : मा. कार्यपरिषद् की 48वीं बैठक का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं सम्पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

विनिश्चय : मा. कार्यपरिषद् ने 48वीं बैठक के कार्यवृत्त का संज्ञान लिया एवं सम्पुष्टि की।

मद संख्या – 02: मा. कार्यपरिषद् की 48वीं बैठक के मद संख्या – 01 के विनिश्चय में निर्णय लिया गया था कि मा. उच्च न्यायालय में दिनांक 08.11.2023 की सुनवायी में प्राप्त होने वाले आदेश के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु मा. कार्यपरिषद् के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रश्नगत वाद में मा. उच्च न्यायालय में दिनांक 08.11.2023 से अद्यतन हुई कार्यवाही निम्नानुसार मा. कार्यपरिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ एवं दिशा–निर्देश हेतु प्रस्तुत है:—

वाद	तिथि	विवरण
Writ Petition No. 513 of 2022 (S/B)	08.11.2023	मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा प्रश्नगत वाद की सुनवाई हेतु दिनांक 07.03.2024 की तिथि निर्धारित की गई।
	27.12.2023	प्रश्नगत वाद की शीघ्र सुनवाई हेतु दिनांक 27.12.2023 को विश्वविद्यालय की ओर से मा. उच्च न्यायालय में Urgency application दाखिल की गई।
	29.12.2023	मा. उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत वाद पर सम्पूर्ण सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.2024 की तिथि निर्धारित की गई है।
अवमानना याचिका संख्या – 283 of 2023	20.11.2023	मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा प्रश्नगत वाद की सुनवाई हेतु दिनांक 14.12.2023 की तिथि निर्धारित की गई।
	14.12.2023	मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा प्रश्नगत वाद की सुनवाई हेतु दिनांक 20.12.2023 की तिथि निर्धारित की गई।
	20.12.2023	मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा प्रश्नगत वाद की सुनवाई हेतु दिनांक 22.12.2023 की तिथि निर्धारित की गई।
	22.12.2023	मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा प्रश्नगत वाद की सुनवाई हेतु दिनांक 27.12.2023 की तिथि निर्धारित की गई।
	27.12.2023	मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा प्रश्नगत वाद की सुनवाई पर मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश दिनांक 29.08.2023 एवं 03.10.2023 के अनुपालन न करने के संदर्भ में दिनांक 04.01.2024 को मा. कुलपति महोदय को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिये गये है।

मा. कार्यपरिषद् की 48वीं बैठक के मद संख्या –02 के विनिश्चय में प्रश्नगत प्रकरण पर प्रभावी पैरवी के लिये किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को नामित करने के लिये अधिकृत किया गया था, जिसके क्रम में उक्त वादों पर प्रभावी पैरवी करने के लिये मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के अधिवक्ता पंकज शर्मा को नामित किया गया है, जो अधिवक्ता आशीष जोशी के साथ समन्वय स्थापित कर प्रकरण पर प्रभावी पैरवी करेंगे। मा. कार्यपरिषद् के सादर संज्ञान में यह भी लाना है कि अधिवक्ता पंकज शर्मा दिनांक 29.12.2023 को हुई सुनवाई में विश्वविद्यालय का पक्ष रखने के लिये मा. उच्च न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए।

मा. कार्यपरिषद् के संज्ञान में यह भी लाना है कि विश्वविद्यालय ने अपने पत्र संख्या–1944/कुलपति पटल/2023 दिनांक 28.12.2023 एवं पत्र संख्या–1947/कुलपति पटल/2023 दिनांक 29.12.2023 के द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण की जानकारी से मा. कुलाधिपति कार्यालय एवं शासन को अवगत कराते हुए दिशा–निर्देश प्राप्त करने के लिये पत्र प्रेषित किया है।

विनिश्चय : **मा. कार्यपरिषद् में वर्तमान सदस्य मा. न्यायमूर्ति (से.नि.)श्री आर.सी. खुल्बे मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–155 ऑफ 2018 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2018 के पैनल में स्वयं एक मा. न्यायाधीश की भूमिका में थे। अतः उन्होंने स्वेच्छा से स्वयं को इस मद की कार्यवाही से पृथक् किया।**

मा. कार्यपरिषद् ने विचार–विमर्श कर यह पाया कि डॉ. मोहन चन्द्र बलोदी यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित मानकानुसार/आवेदन पत्र में प्रोफेसर के पद हेतु अंकित अर्हतायें पूर्ण नहीं करते हैं। यह तथ्य जाँच समिति की दिनांक 24.02.2020 की रिपोर्ट में सिद्ध हो चुका है एवं यह जाँच रिपोर्ट मा. कार्यपरिषद् की 39वीं बैठक दिनांक 08 सितम्बर, 2020 के कार्यवृत्त के मद संख्या–11 के विनिश्चय में स्वीकार हो चुकी है। इसी क्रम में शासन के आदेश संख्या–215/XLII–1/2020–08(07)2018, संस्कृत शिक्षा अनुभाग, देहरादून, दिनांक 30 मई, 2022 के अनुपालन में डॉ. मोहन चन्द्र बलोदी को विश्वविद्यालय की सेवाओं से पृथक् किया गया। उक्त कारणों से मा. कार्यपरिषद् की 48वीं बैठक (आकस्मिक) दिनांक 21 अक्टूबर, 2023 में मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों दिनांक 29.08.2023 एवं 03.10.2023 का अनुपालन में विधिक कठिनाई होते हुये अनुपालन हेतु अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया।

डॉ. मोहन चन्द्र बलोदी की नियुक्ति विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर हुई है परन्तु वह यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित मानकानुसार प्रोफेसर के पद की अर्हताओं को पूर्ण नहीं करते हैं। इस विधिक कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुये मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2023 एवं 03.10.2023 के अनुपालन में विधिक कठिनाई है। मा. कार्यपरिषद् का मत है कि वर्तमान में अनर्ह व्यक्ति को कार्यभार ग्रहण कराया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

मा. कार्यपरिषद् ने रिट याचिका संख्या 513 of 2022 में दिनांक 29.08.2023 एवं 03.10.2023 को पारित अंतिरिम आदेश का पुनः संज्ञान लिया।

अतः कार्यपरिषद् का यह भी मत है कि यह तथ्य प्रभावीपूर्ण तरीके से मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल के प्रकाश में लाया जाये तथा मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 03.01.2024 एवं 04.01.2024 की सुनवाई में प्राप्त आदेशों का विधिक परीक्षण करते हुये अग्रेत्तर कार्यवाही/पैरवी हेतु मा. कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

मा. कार्यपरिषद् द्वारा मा. उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी के लिये अधिवक्ता पंकज शर्मा, मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को नामित किये जाने का संज्ञान लिया एवं संतोष व्यक्त करते हुए अधिवक्ता पंकज शर्मा को आगे भी मा. उच्च न्यायालय अथवा मा. उच्चतम न्यायालय में नामित करने पर भी सहमति प्रदान की है तथा साथ ही यह भी अनुमोदन प्रदान किया गया कि उनको उक्त कार्य के लिये फीस/अन्य खर्चों का भुगतान किये जाने हेतु मा. कुलपति को अधिकृत किया गया एवं मा. कुलपति महोदय को उक्त वादों में आकस्मिक स्थिति में निर्णय लिये जाने हेतु भी अधिकृत किया गया।

अन्य मद : मा. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

मद संख्या –01: दिनांक 21.10.2023 को हुई मा. कार्यपरिषद् की 48वीं बैठक में विश्वविद्यालय की ओर से नामित सदस्य (विश्वविद्यालय के शिक्षकों) न तो ऑफलाईन और न ही ऑनलाईन माध्यम से प्रतिभाग किया गया, जिस पर मा. कार्यपरिषद् में मा. राजभवन द्वारा नामित सदस्यों ने असंतोष व्यक्त किया तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में यदि कोई विश्वविद्यालय की मा. कार्यपरिषद् जैसी सर्वोच्च परिषद् का आन्तरिक सदस्य/शिक्षक बिना किसी अपरिहार्य कारणों से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना मा. कार्यपरिषद् की बैठक में प्रतिभाग नहीं करता है, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
सचिव–मा. कार्यपरिषद्

(प्रो. दिनेशचन्द्र शास्त्री)
अध्यक्ष–मा. कार्यपरिषद्